समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला नजारत शाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला अतिथिगृह/जिला गोपनीय शाखा एवं समाहरणालय, जहानाबाद के परिसर एवं भवनों की साफ–सफाई निजी श्रोत द्वारा कराये जाने हेतु इच्छुक संस्था/व्यक्ति से निविदा दिनांक .... को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो निम्न प्रकार है :–

स्थान	कार्य
जिला अतिथिगृह	साफ–सफाई (सभी सामग्री सहित)
समाहरणालय, जहानाबाद	साफ–सफाई (सभी सामग्री सहित)
जिला गोपनीय शाखा, जहानाबाद	साफ–सफाई (सभी सामग्री सहित)

उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे क्रय समिति द्वारा निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सीलबन्द लीफाफा में दर निर्धारण हेतु निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार आमंत्रित की जाती है।

प्रथम		द्वितीय (प्रथम निविदा रद्द होने की स्थिति में)		तृतीय (द्वितीय निविदा रद्द होने की स्थिति में)	
निविदा आमंत्रण की तिथि (03:00 बजे अपराह्न)	निस्तारण की तिथि (04:00 बजे अपराह्न)	निविदा आमंत्रण की तिथि (03:00 बजे अपराह्न)	निस्तारण की तिथि (04:00 बजे अपराह्न)	निविदा आमंत्रण की तिथि (03:00 बजे अपराह्न)	निस्तारण की तिथि (04:00 बजे अपराह्न)
09/08/2018	**09/08/2018**	**17/08/2018**	**17/08/2018**	**24/08/2018**	**24/08/2018**

निविदा की शर्तें:–

1. संस्था वाणिज्यकर विभाग से निबंधित होनी चाहिए एवं श्रम विभाग तथा जी0एस0टी0 में भी निबंधित होना चाहिए।
2. निविदादाता को प्रत्येक निविदा के साथ मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिलाधिकारी, जहानाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
3. संस्था को एक वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा। समान दर होने पर अधिक अनुभव वाली संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. साफ–सफाई का दर प्रति वर्ग मी0 प्रति माह के आधार पर देना होगा। परिसर का क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार बढ़ाया/घटाया जा सकता है।
5. अद्यतन आयकर पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र एवं पिछले वर्ष के रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।
6. परिसर एवं भवन को पुरी तरह से कीट/चूहे व संक्रमण मुक्त एवं स्वच्छ रखना होगा।
7. साफ–सफाई, दिन में दो बार करना होगा।
8. आवश्यकतानुसार नाला की सफाई करनी होगी।
9. निविदादाता को शपथ–पत्र देना होगा कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में वे काली सूची में दर्ज नहीं है तथा दी गई सूचनायें सही है। प्रतिष्ठान के स्वामी निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे एवं वे या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा में भाग लेंगे।
10. सुबह 08 बजे से अपराह्न 05 बजे तक कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।
11. सफाई कर्मी को एक निर्धारित पोशाक में रहना होगा।
12. सभी सफाई कर्मी का दैनिक उपस्थिति पंजी संधारित की जायेगी।
13. सभी बेसिन/युरिनल में फिनाईल गोली/साबुन/हैंड वॉश प्रतिदिन आवश्यकतानुसार रखना होगा।
14. सेवा संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में अनुबंध किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा।
15. अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा।
16. जिला नजारत उप समाहर्ता/जिला नाजिर के आदेश का पालन करना होगा।
17. उपरोक्त कार्य हेतु कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगा।
18. साफ–सफाई की गुणवत्ता मे कमी आने पर संबंधित संस्था जिम्मेवार होगा, अथवा भुगतेय राशि की आवश्यकतानुसार कटौती कर ली जायेगी।
19. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
20. नियमानुसार आयकर आदि की कटौति की जायेगी।
21. इसे जिले के वेबसाईट www. jehanabad.bih.nic.in एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार के वेबसाईट www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

24/7/18

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद